

**फर्द अहकाम
(नियम-28)**

ज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण
इन्दाराम
रण : राजस्व प्रार्थना पत्र

बनाम

अप्रार्थीगण
भंवरलाल वगैरह
मुकदमा नं. 114 / 2015

हुकम या कार्यवाही इतिहास जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये।
<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री शिवकुमार पाराशर पेश किया गया।</p> <p>बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया। जिससे मामला प्रथम दृष्टया, प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है आगामी आदेश तक वे मौजा टाटरवा के खसरा नं. 45 रकबा 41.14 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड की यथारिथति बनाये रखे।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे पक्षकारों को सम्मन जरिये रजिस्टर ऐडी भिजवाये। पत्रावली दिनांक 15.08.2015 को पेश हो।</p>	<p align="center">4 सहायक कलक्टर (एस. डी. एम.) जायल (नागौर)</p>

1615
सीटेशन अधिनियम की तिथि में प्रमाण
अवकाश पर गये हैं, इतिहास प्रकरण
उनके सन्दर्भ दिनांक 21/12/15

सीटेशन अधिनियम की तिथि में प्रमाण
अवकाश पर गये हैं, इतिहास प्रकरण
उनके सन्दर्भ दिनांक 25/11/16

पत्रकार/कार्यवाही के अतिवृत्त
25/11/16
सीटेशन अधिनियम की तिथि में प्रमाण
अवकाश पर गये हैं, इतिहास प्रकरण
उनके सन्दर्भ दिनांक 25/11/16



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिपिल जज
25/3/16	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी ने मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 22/11/16 को प्रस्तुत करें।
22/11/16	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी ने मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 22/11/16 को प्रस्तुत करें।
22/11/16	वकुलामय 30/ अपाधीगणों के समान तालिका होल नही लोटे हो पवामल दिनांक 15/11/16 को पेश हो।
15/9/16	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी ने मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 2/11/16 को प्रस्तुत करें।
3/11/16	वकील जामी अपाधीगणों के नोटिस तालबाना पुनः पेश करे जेशा होनेपर जामी होकर दिशाल दिनांक 23/11/16 को पेश हो तब तक T की अपील खारिज जारी है।
23/1/17	वकील जामी अपाधीगणों के नोटिस तालबाना 7 दिवस में पुनः पेश करे। पत्रावली डिठ 14/4/17 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
25/3/16 वकील जामी अपाधीगणों के नोटिस तालबाना पुनः पेश करे जेशा होनेपर जामी होकर दिशाल दिनांक 23/11/16 को पेश हो।	
22/11/16 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी ने मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 22/11/16 को प्रस्तुत करें।	
22/11/16 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी ने मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 22/11/16 को प्रस्तुत करें।	
15/9/16 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी ने मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 2/11/16 को प्रस्तुत करें।	
3/11/16 पत्रावली न्याय धायेके द्वार शिवि 2018 के पत्रावली पेशा हुडी कार कोन्सिल आफ राज. के आहवान के कारण वकुलामय के द्वारा न्यायिक कार्य बहिष्कार। पत्रावली दिनांक 15/9/16 को पेश हो।	
23/1/17 वकील जामी अपाधीगणों के नोटिस तालबाना 7 दिवस में पुनः पेश करे। पत्रावली डिठ 14/4/17 को पेश हो।	

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश अनुपालना का संक्षिप्त नोट
5.7.19	पेशकार/पेशकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी को मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 8.1.19 को प्रस्तुत करें।	
2.8.19	पेशकार/पेशकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी को मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 20.1.20 को प्रस्तुत करें।	
20.12.20	पेशकार/पेशकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी को मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 20.1.20 को प्रस्तुत करें।	
20.1.20	वक्तुगम जय चन्द्रापीठ जी के प्रति A/C मिथुन गढ़ (मग) अज्ञात है पञ्जाबी दिनांक 23.3 को पत्र है।	
23.3.20	पेशकार/पेशकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी को मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 21.4.20 को प्रस्तुत करें।	
21.4.20	पेशकार/पेशकारान के अधिवक्ता कोरोना लॉकडाउन पीठासीन अधिकारी को मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 21.5.20 को प्रस्तुत करें।	

FORM NO. 3
फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)
(नियम 28)

संख्या	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
21.5.20	पेशकार/पेशकारान के अधिवक्ता कोरोना लॉकडाउन पीठासीन अधिकारी को मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 15.6.20 को प्रस्तुत करें।	
15.6.20	पेशकार/पेशकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी को मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 10.7.20 को प्रस्तुत करें।	
10.7.20	पेशकार/पेशकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी को मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 13.8.20 को प्रस्तुत करें।	
13.8.20	पेशकार/पेशकारान के अधिवक्ता श्रीमती जय चन्द्रापीठ से. 6 व 7 की तल्लि उत्प जो बापकि रहे। श्रीमती शोभा दे (मग) शिक्षक पर करी मिथुन दिनांक 28/9/20 को पत्र है।	
28.9.20	पेशकार/पेशकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी को मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 22.10.20 को प्रस्तुत करें।	सहायक क्लर्क (एस.डी.ओ.) जाल

व कुलाय उपा. वकील प्राधी की तजवी हेतु
सामान तलाशना नहीं किया गया है।
अनिवार्य प्रदान किया जाता है।
मिसल दिनांक 23/8/22 को है।

[Signature]
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जयल

अध्याय 2 व कुलाय उपा. वकील प्राधी अनुपस्थित।
आवकन लागू नहीं। वाद आवाने स्व
इतजार उपस्थिति उपरान्त हानिर नहीं आये हैं
तथा ना ही प्राधी स्वयं आया है। अतः
प्राधी का प्रार्थना पत्र अहम राजरी स्वम्
अहम खारिज में खारिज किया जाता है।
मिसल निर्णय नम्बर से कम होकर वद
जाप्ता कार्यवाही दारिदल हफ्तर रहे।

[Signature]
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जयल